

V

(20516)

Roll No.

B. A. LL. B. -VIII Sem.

NP-3529

B. A. LL. B. Examination, May 2016

ADMINISTRATIVE LAW

(BL-801)

Time: Three Hours!

[Maximum Marks: 100]

Note: Attempt questions from all Sections as per instructions.

सभी खण्डों से निर्देशानुसार प्रश्न हल कीजिए।

Section-A

खण्ड-अ

(Very Short Answer Questions)

(अति लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer all the five questions. Each question carries 4 marks. Very short answer is required not exceeding 75 words. 4×5=20

सभी पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 4 अंकों का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है।

1. Define Quo Warranto. Who can apply for this writ? अधिकार-पृच्छा को परिभाषित कीजिए। यह याचिका कौन प्रस्तुत कर सकता है?

2. Define injunction in brief.

व्यादेश की परिभाषा दीजिए।

3. What is 'Audi alteram partem'?

'ऑडी अल्टरम पार्टेम' क्या है?

4. What is administrative discretion?

प्रशासनिक विवेक क्या होता है?

5. What is 'doctrine of ultra-vires'?

'अधिकारातीत का सिद्धान्त' क्या है?

Section-B

खण्ड ब

(Short Answer Questions)

(लघु उत्तरीय प्रश्न)

Answer any two questions out of the following three questions. Each question carries 10 marks. Short answer is required not exceeding 200 words. 10×2=20
निम्नलिखित तीन प्रश्नों में से किसी दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है।

6. With the help of decided cases discuss critically the tortious liability of state.

निर्णीत वादों की सहायता से राज्य के अपकृत्यात्मक दायित्व की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।

NP-3529

7. What do you mean by 'public interest litigation'? Explain its origin, nature and purpose in Indian context. Cite a few constitutional cases in this regard.
8. Discuss parliamentary control over delegated legislation.

'लोकहित वाद' से आप क्या समझते हैं ? इसकी भारतीय अर्थ में उत्पत्ति, प्रकृति एवं उद्देश्यों को समझाइए । इस सम्बन्ध में कुछ संवैधानिक वादों का उदाहरण दीजिए ।

प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिए ।

Section-C

खण्ड-स

(Detailed Answer Questions)

(विस्तृत उत्तरीय प्रश्न)

Answer any *three* questions out of the following five questions. Each question carries 20 marks. *100* marks are required in detail.

निम्नलिखित पाँच प्रश्नों में से किन्हीं **तीन** प्रश्नों के उत्तर दीजिए । प्रत्येक प्रश्न का अंक 20 का है । विस्तृत उत्तर अपेक्षित है ।

9. Describe the structure, jurisdiction and procedure of an administrative tribunal. How is it different from the regular courts ?
- एक प्रशासनिक न्यायाधिकरण के संगठन, क्षेत्राधिकार तथा प्रक्रिया का वर्णन कीजिए । सामान्य न्यायालय से यह किस प्रकार भिन्न है ?

10. What do you mean by delegated legislation ? What are the functions which can be delegated and which cannot be delegated ? Refer to decided cases.

प्रत्यायोजित विधायन से आप क्या समझते हैं ? किन शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है तथा किनका नहीं किया जा सकता है ? निर्णीत वादों का हवाला दीजिए ।

11. Examine critically the 'doctrine of rule of law' as propounded by Prof. A. V. Dicey. Explain the importance of this rule in India.

प्रो. ए. वी. डीसी द्वारा प्रतिपादित 'विधि के शासन का सिद्धान्त' का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए । भारत में इस सिद्धान्त की महत्ता पर प्रकाश डालिए ।

12. What is Central Vigilance Commission ? Explain in brief its appointment, jurisdiction and functions. How a complaint is tackled by the Commission ?

केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या है ? संक्षेप में इसकी नियुक्ति, क्षेत्राधिकार एवं कार्य का उल्लेख कीजिए । आयोग द्वारा शिकायतों को किस प्रकार हल किया जाता है ?

13. What do you mean by 'writ of certiorari' ? What are the grounds for issuing of this writ ? Discuss with the help of decided cases.

'उद्धारण याचिका' से आप क्या समझते हैं ? इस याचिका को जारी करने के क्या आधार हैं ? निर्णीत वादों की सहायता से विवेचना कीजिए ।